


राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का अपमान दण्डनीय अपराध है।

संख्या: शिक्षा-एच0ई0(8)ए(1).विविध

उच्चतर शिक्षा निदेशालय

हिमाचल प्रदेश।

दिनांक: शिमला-171001



प्रेषक,

निदेशक (उच्चतर शिक्षा),

हिमाचल प्रदेश।

सेवा में

समस्त प्राचार्य सरकारी/ गैर सरकारी/ संस्कृत महाविद्यालय


समस्त उपनिदेशक उच्चतर शिक्षा

हिमाचल प्रदेश।

विषय: "हर घर तिरंगा आजादी का अमृत महोत्सव के अन्तर्गत एक पहल।"

महोदय,

उपरोक्त विषय पर इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 02.08.2022 का सन्दर्भ जारी रखते हुए आपको निर्देश दिये जाते हैं कि पूर्व निर्धारित कार्याक्रमानुसार हिमाचल प्रदेश के समस्त विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं अन्य शिक्षण संस्थानों में "हर घर तिरंगा" अभियान के अन्तर्गत फहराये जाने वाले तिरंगे पर व्यय संबंधित शिक्षण संस्थान के पास उपलब्ध निधि से करने हेतु अधिकृत किया जाता है। इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों, अध्यापकों व प्राध्यापकों को भी अपने अपने घरों में तिरंगा फहराने के लिए प्रेरित करें।


डॉ अमरजीत कुमार शर्मा
निदेशक उच्चतर शिक्षा
हिमाचल प्रदेश।


पृष्ठांकन संख्या: सम

शिमला-171001

,2022

सूचनार्थ और अग्रिम कार्यवाही हेतु:

1. प्रधान सचिव(शिक्षा), हिमाचल प्रदेश सरकार।
2. निदेशक प्रारंभिक शिक्षा/राज्य परियोजना निदेशक।
3. संयुक्त निदेशक निरीक्षण, निदेशालय शिक्षा विभाग।
4. समस्त प्राचार्य सरकारी/ गैर सरकारी विद्यालय।
5. तकनीकी अधिकारी, IT शाखा, विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।
6. अधीक्षक सामान्य शाखा को इस आशय के साथ प्रेषित है कि उपनिदेशकों से प्राप्त सूचना को एकत्रित करके समेकेतिक रिपोर्ट तैयार करें।
7. रक्षक नस्ति।


निदेशक उच्चतर शिक्षा
हिमाचल प्रदेश।